न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दायर दिनांक–01.08.2025

मुकदमा नम्बर 194 / 2025

1. हीरालाल कुमावत पुत्र धूड़ा राम कुमावत जाति चेजारा निवासी सीकर रोड़ गोल्याणा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू

–वादी

1. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादी

वकील वादी : – **श्री किशोर कुमार जांगिड़**
वकील प्रतिवादी :– **एकपक्षीय**

दावा बाबत : घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकॉर्ड

–:: निर्णय ::–

दिनांक–27.11.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि ग्राम रामपुरा पटवार हल्का चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद में आराजी खसरा नम्बर 804 रकबा 1.2300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 810 रकबा 0.2900 हैक्टर, खसरा नम्बर 813 रकबा 0.2500 हैक्टर, खसरा नम्बर 814 रकबा 0.9700 हैक्टर, खसरा नंम्बर 816 रकबा 1.1700 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 3.9199 हैक्टर स्थित है। उक्त आराजी को आगे बाद पत्र मे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वादग्रस्त आराजी मे वादी को हक हिस्से के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। वादी का सही व वास्तविक नाम हीरालाल कुमावत पुत्र धुडा राम कुमावत है. जो वादी के तमाम पहचान सम्बन्धि दस्तावेजात आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड आदि में अंकित है परन्तु वादग्रस्त आराजी के राजस्व अभिलेख मे वादी का नाम पीरालाल पुत्र धूड़ाराम गलत दर्ज है, जो राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो की लापरवाही से दर्ज हुआ है। स्व. धूड़ाराम के पीरालाल नाम की कोई सन्तान नही थी। वादी का उक्त गलत नाम राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियो की लापरवाही से दर्ज हुआ है राजस्व अधिकारोयो व कर्मचारियो ने वादी के नाम का सही सत्यापन किये बिना ही दर्ज किया है। उक्त पीरालाल पुत्र धूड़ाराम व हीरालाल कुमावत पुत्र धूड़ा राम कुमावत दोनो नामो का एक व्यक्ति वादी ही है। इसलिए वादग्रस्त आराजी के राजस्व अभिलेख में पीरालाल पुत्र धूड़ाराम के स्थान पर वादी हीरालाल कुमावत पुत्र धुड़ा राम कुमावत को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। जिसके लिए उक्त वाद श्रीमानजी की सेवामें पेश है।राजस्व अभिलेख में वादी को नाम गलत रहने से वादी को अनेक परेशानियों का समाना करना पड़ता है वादी उक्त गलत नाम के कारण सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। इसलिए वादग्रस्त आराजी के राजस्व अभिलेख में पीरालाल पुत्र धूड़ाराम के स्थान पर यादी हीरालाल कुमावत पुत्र धुड़ा राम कुमावत को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख दुरूस्त किया जाना आवश्यक है ।

अतः वाद पेशकर निवेदन है कि – राजस्व ग्राम रामपुरा पटवार हल्का चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद में स्थित आराजी खसरा नम्बर 804 रकबा 1.2300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 810 रकबा 0.2900 हैक्टर, खसरा नम्बर 813 रकबा 0.2500 हैक्टर, खसरा नम्बर 814 रकबा 0.9700 हैक्टर, खसरा नम्बर 816 रकबा 1.1700 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 3.9199 हैक्टर में पीरालाल पुत्र धूड़ाराम के स्थान पर वादी हीरालाल कुमावत पुत्र धूड़ा राम कुमावत को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख दुरूस्त किया जावे ।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अंकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप से होने के बावजूद उपस्थित न्यायालय हाजा नहीं होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु वादी हीरालाल का चिफ के सपथ पत्र पेश किये। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात नकल जमाबंदी सम्वत 2075–78, कार्यालय ग्राम पंचायत रामपुरा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:32:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट , चुनाव पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड व पेंशन आवेदन रशीद आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस वादी एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस मे वाद–पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम रामपुरा पटवार हल्का चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद में स्थित आराजी खसरा नम्बर 804 रकबा 1. 2300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 810 रकबा 0. 2900 हैक्टर, खसरा नम्बर 813 रकबा 0.2500 हैक्टर, खसरा नम्बर 814 रकबा 0.9700 हैक्टर, खसरा नम्बर 816 रकबा 1.1700 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 3.9199 हैक्टर में पीरालाल पुत्र धूड़ाराम के स्थान पर वादी हीरालाल कुमावत पुत्र धूड़ा राम कुमावत दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम रामपुरा पटवार हल्का चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद में स्थित आराजी खसरा नम्बर 804 रकबा 1.2300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 810 रकबा 0. 2900 हैक्टर, खसरा नम्बर 813 रकबा 0.2500 हैक्टर, खसरा नम्बर 814 रकबा 0.9700 हैक्टर, खसरा नम्बर 816 रकबा 1.1700 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 3.9199 हैक्टर में पीरालाल पुत्र धूड़ाराम के स्थान पर वादी हीरालाल कुमावत पुत्र धूड़ा राम कुमावत को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 27.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:32:58 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणार्थ व रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:– 194 / 2025 **(हीरालाल बनाम तहसीलदार आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 27.11.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम रामपुरा पटवार हल्का चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद में स्थित आराजी खसरा नम्बर 804 रकबा 1.2300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 810 रकबा 0.2900 हैक्टर, खसरा नम्बर 813 रकबा 0.2500 हैक्टर, खसरा नम्बर 814 रकबा 0.9700 हैक्टर, खसरा नम्बर 816 रकबा 1.1700 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 3.9199 हैक्टर में पीरालाल पुत्र धूड़ाराम के स्थान पर हीरालाल कुमावत पुत्र धूड़ा राम कुमावत को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 27.11.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:32:58 IST
Reason: SelfAttested